-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना नरैनी की पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 9.6 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैनी पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक ग्राम जमवारा मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के मोटरसाइकिल के साथ खड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर अभियुक्त को पकड़कर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल पर पीछे बांधकर रखे बोरी को खोलकर चेक किया गया तो उसमें से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 09 किलो 600 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 01 मोटरसाइकिल अवैध सूखे गांजे के परिवहन में प्रयुक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि उर्फ नेता पुत्र मत्तू निवासी कछयाना मोहल्ला अजयगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 358/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार
2. हे0का0 ललित कुमार
3. कां0 सुनील कुमार
4. कां0 अजय यादव
5. कां0 अंकित कुमार सिंह